सं० ओ० वि० एफडी/67-87/26796.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये हैं कि मैं० दशमेश इन्जीनियरिंग वर्कस प्लाट नं० 23, सैक्टर 22, शिव कालोनी, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री पवन कुमार शर्मा, मार्फत श्री अमर सिंह शर्मा, लेबर यूनियन आफिस सामने गवर्नमेंट मिडल स्कूल नं० 1, एन. आई. टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री पवन कुमार की सेवायें समाप्त की गई हैं या उसने स्वयं चुकती हिसाब प्राप्त करके नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० पानी/20-87/26803.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) प्रबन्धक, दी हरियाणा स्टेट फेडरेशन आफ कन्जूमर्ज कोप० होलसेल, 1014-15, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़ ; (2) मैनजर, दी हरियाणा स्टेट फेडरेशन आफ कन्जूमर्ज कोप० होलसैल स्टोर लि० विशनस्वरूप कालोनी, पानीपत, के श्रमिक श्री अमीर सिंह, पुत्र श्री कर्णसिंह मार्फत भारतीय मजदूर संघ, जी. टी. रोड़, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा अधिसूचना सं० 3(44) 84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री अमीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठिक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफडी/144-87/26811.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० साहनी सिल्क मिल्ज प्रा० लि० 13/7, मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जोगिन्द्र सिंह, पुत्र श्री कमला सिंह, मार्फत श्री दर्शन सिंह, जनरल सैक्रेट्री, टैक्सटाईल एण्ड इम्प्लोइज यूनियन (रजि०) एन० आई० आर० फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीनठितग औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में ने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री जोगिन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०एफडी/141-87/26818.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० पाईनीयर रिफैक्ट्रीज कम्पनी 12/2, मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री रामचन्द्र, मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन 2/7, गोपी कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री राम चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि० एफडी/68-87/26825.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० हैन लेह मैन (इण्डिया) लि०, प्लाट नं० 10, सैक्टर 6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री आजाद सिंह, पुत्र श्री चिमन लाल मार्फत हेन लैन मैन इम्पलाईज यूनियन जी-162, इन्द्रा नगर, फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं?

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवाद-ग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री आजाद सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफडी/गुड़गांव/57-87/26832.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० सकीपर स्टीलज 1-डी/43 एन० आई० टी० फरीदाबाद के श्रमिक श्री हरपाल सिंह, पुत्र श्री तुला राम बी-II कपड़ा कालोनी फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं।

क्या श्री हरपाल सिंह की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/कुरू/16-87/26839.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) जनरल मैनेजर, हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल के श्रमिक श्री जसमेर सिंह, पुत्र श्री रूलिया राम, गांव रायपुर रोरान, तहसील व जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के रारज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)184-3, श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उस से संबंन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंन्धित मामला है:—

क्या श्री जसमेर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

आर० एस० अग्रवाल,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।